

# उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्

नलकूप व पम्पसेट के लिए विजली के लिए आवेदन-पत्र

चैक में,

सहायक/अधिकारी अभियंता,  
विद्युत वितरण उपखण्ड/खण्ड



रजिस्ट्रेशन संख्या.....  
25/रू० की रसीद संख्या.....  
दिनांक.....

Ramesh Kumar Singh  
NOTARY PUBLIC  
FIR, Mohammad Ali, Roorkee, U.P.

- १- (क) प्राची का नाम और पता — राम बल्लू  
(ख) पिता का नाम — सुमल  
(ग) नाम ग्राम जिसमें विजली सेवी है। ग्राम नियोजन अधिकारी ७.५ मि०
- २- विजली की शक्ति की मात्रा, जिसके लिए आवेदन पत्र दिया जा रहा है। घास पाकर
- ३- ग्राम का एकड़ों में यह सेत्र जिसकी नलकूप से सिंचाई की जायेगी। जमीन के दुकड़ों का पूरा विवरण इनका सेत्र संख्या स्थित भादि का पूरा विवरण
- ४- इंद्रखाल की नकल संलग्न की गई।
- ५- यह नलकूप की ओरिंग (खुदाई) की गयी है।
- ६- नलकूप की ओरिंग का खण्ड विकास अधिकारी का प्रमाण-पत्र संलग्न किया गया।
- ७- इससे पूर्व क्षुधि थोर्य भूमि की सिंचाई किस साधन से की जाती थी।
- ८- ग्राम के सेत्र तथा निकटवर्ती नहरों के बीच छोड़ी। यदि निजी नलकूप नहर की 100 मीटर की दूरी से कम पर स्थित है तो विजली की स्वीकृति के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा और इस आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना होगा।
- ९- नलकूप के स्थल से विजली के निकटान्म खम्बे की दूरी यदि कोई हो।
- १०- खास का व्यास छलनी (स्टेनर) की लम्बाई ओरिंग (खुदाई) की गहराई त्रोत की वजह पहले जले चानी फूटने की सतह की गहराई।
- ११- खास खारीनी/जोल वही छायाप्रति प्रमाणित होता है।

हूँ

संलग्न है।

वार्षिक १३० लिटर वाहन  
७० लिटर

७ ग्र०८८

रामबाला २१

प्राची के हस्ताक्षर

पत्र व्यवहार का पता ग्राम नियोजन अधिकारी ७.५ मि० अधिकारी का नाम और पता

उप खण्ड अधिकारी की आख्या

इसका नलकूप तकनीकी तौर पर दिया जा सकता है। यह खीम में होगा तथा फोड़र से दिया जायेगा/प्रस्तावित कृषक पर या परिवार के सदस्यों पर विद्युत सम्बन्धी कोई द्वारा किया जाता है।

उप खण्ड अधिकारी

में ओरिंग चालू छालत में है तथा सिंचाई का कार्य जन से किया जा रहा है। ओरिंग नहीं है। नया नलकूप योजना ७.५ अ० श० देने की संस्तुति की जाती है।

२५ दिसंबर २०१४

अवर अभियंता (ल० सि०)



Ak DOHARE